



आयुष्मान भारत "निरामयम्", मध्य प्रदेश
दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्
आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक./ई.ओ./ए.बी./2018/168

भोपाल, दिनांक 04/12/2018

:: आदेश ::

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. के आदेश क्रमांक/एच.सी./ए.बी./22 भोपाल दिनांक 21/08/2018 द्वारा आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश के अंतर्गत अस्पतालों के Empanelment हेतु State Empanelment Committee का गठन किया गया था। दिनांक 31/10/2018 को डॉ.के.के. ठस्सू, संचालक के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से दिनांक 05/11/2018 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार State Empanelment Committee का पुर्नगठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल अध्यक्ष
2. आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल सदस्य (कार्यकारी अध्यक्ष)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. भोपाल सदस्य सचिव
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल सदस्य
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल सदस्य
6. कार्यकारी परिषद् अध्यक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ सदस्य
7. Senior Medical Specialist, स्वास्थ्य सेवायें आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. कार्यकारी/ सचिव भोपाल।

उपरोक्तानुसार गठित समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा बैठक आयोजित की जायेगी।
(अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित)

Ruhi
(रुही खान)

कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.

भोपाल, दिनांक 04/12/2018

पृ. क्रमांक. /ई.ओ./ए.बी./2018/169
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश।
5. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
6. संचालक चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संबंधित अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. वेब मनेजर स्थानीय कार्यलयवेबसाईट पर अपलोड करने।

Ruhi
कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.